

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 3119 / 200 ना.क.

अनवान

पटवार हल्का शामिलपुर बनेड़ा, तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
बनाम श्री मोहनवत शर्मा पिता श्री राज शर्मा
जाति ब्राह्मण निवासी नीमपुरा
(अप्रार्थी)

(प्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 21/8/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-

ग्राम नीमपुरा पटवार मण्डल शामिलपुर तहसील-बनेड़ा की
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर 31 में से रकबा बीघा पर
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्वत् 2026 के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस काटलडा/कल

काशत/अवैध कब्जा कर लेने पर पटवारी हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण होना तथा जिस काटलडा/कल काशत स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काशत की हैं अतः प्रार्थी को अतिक्रमी करार देते हुये मौके से बेदखल किये जाने एवं जिस काटलडा/कल जहाँ सरकार की जाकर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान 2020.50 का गुणा 107 रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है। श खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई जावे तांमिल तकमील पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नायब तहसीलदार
बनेड़ा जि भीलवाड़ा